"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 557] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 24, शक 1937

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

आदेश

अतिरिक्त निर्वाचन प्रतीकों का निर्धारण

क्रमांक एफ-58-33/तीन (दो)/न.पा./प्रतीक/2015/3302. — कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2129/स्था.निर्वा./न.पा.नि./2015 दुर्ग दिनांक 14-12-2015 के द्वारा सूचित किया गया है कि नगरपालिक निगम भिलाई के महापौर पद के निर्वाचन हेतु 69 अभ्यर्थियों से नामांकन प्राप्त हुए है. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के लिए आरक्षित 6 निर्वाचन प्रतीक के अतिरिक्त 34 मुक्त निर्वाचन प्रतीक विहित किया गया है. प्राप्त नामांकन की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त निर्वाचन प्रतीक की आवश्यकता पड़ सकती है. अत: तत्सम्बन्धी समुचित कार्रवाई किया जाए. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला दुर्ग के उक्त ज्ञापन तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243यक सहपठित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 31 के प्रयोजन हेतु मात्र नगरपालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग के महापौर पद के निर्वाचन 2015 के लिए आयोग के निर्वाचन प्रतीकों का निर्धारण आदेश क्रमांक एफ-12/1526/रा.नि.आ./न.पा./प्रतीक/09 दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के अनुसूची में नगरपालिकाओं के महापौर के निर्वाचन के लिए भाग-एक में उल्लेखित विहित 34 प्रतीकों के साथ निम्नांकित 41 अतिरिक्त निर्वाचन प्रतीक विहित करता है :

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)	क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
35.	बनियान	56.	हाकी और गेंद
36.	सेव	57.	लड़का और लड़की
37.	मक्के का भुट्टा	58.	मेज
38.	कमीज	59.	वायलिन
39.	मूली	60.	नाव

(1)	(2)	(1)	(2)
40.	केतली	61.	मोरपंख
41.	फ्राक	62.	बल्ला
42.	बाल्टी	63.	सिगड़ी
43.	फलों सहित नारियल का पेड़	64.	ट्रेक्टर चलाता हुआ किसान
44.	गुलाब का फूल	65.	फसल काटता हुआ किसान
45.	हल	66.	कंघी
46.	अनाज बरसाता हुआ किसान	67.	दरवाजा
47.	पोत	68.	मशाल
48.	कुल्हाड़ी	69.	ढोलक
49.	घंटी	70.	डीजल पम्प
50.	कुआँ	71.	भोंपू
51.	मोमबत्तियाँ	72.	ड्रम
52.	संडसी	73.	आरी
53.	जग	74.	चारपाई
54.	कढ़ाई	75.	कप प्लेट
55.	गुब्बारा		

2. उपरोक्तानुसार नगरपालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग के महापौर पद के निर्वाचन 2015 के लिए कुल 75 विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक होंगे. आयोग द्वारा विहित उपरोक्त निर्वाचन प्रतीक, उन प्रतीकों के अतिरिक्त होंगे जो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश 1968 के अधीन, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित है.

3. छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 31(3) के परन्तुक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरपालिका निर्वाचन रिटर्निंग आफिसरों के लिए हस्त पुस्तक (जहां इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन प्रयुक्त की जायें) निर्वाचन संदर्शिका वर्ष 2014 के अध्याय 8 की कंडिका 5 (ख)(5)/नगरपालिका निर्वाचन रिटर्निंग आफिसरों के लिए हस्त पुस्तक निर्वाचन संदर्शिका वर्ष 2014 के अध्याय 8 की कंडिका 5(ख)(5) तथा नगर पालिका निर्वाचन नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति और संवीक्षा तथा प्रतीक आबंटन निर्देश वर्ष 2014 की कंडिका 41 की पैरा 4 आदि के प्रयोजन हेतु उपरोक्त 75 निर्वाचन प्रतीकों में से उक्त नगरपालिका के महापौर पद के लिए अभ्यर्थियों को नियमानुसार आबंटित किया जाए.

हस्ता./-
(एस. के. तिवारी)
उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.